



“निगम हिंदी पत्राचार का स्वागत करता है।”

क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु)
REGIONAL OFFICE (TAMILNADU)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
143, स्टर्लिंग रोड, चेन्नै-600 034.
143, STERLING ROAD, CHENNAI-600 034.

दूरभाष Phone : 28306300
(100 lines)
फैक्स Fax : 28238559

ई मेल Email : rd-tamilnadu@esic.nic.in

आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणित

वेबसाइट Website: www.esichennai.org

(ISO 9001:2000 Certified)

संख्या No: 51-ए-22 (15)/अ.श्रे.लि./सी.भ./ 2008-प्रशासन

दिनांक: 4/1/2010

हिंदी रूपांतर

2010 का कार्यालय आदेश संख्या 04 (ई) OFFICE ORDER No. 04(E) of 2010

अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक ने शाखा कार्यालय, राणिपेट, क रा बी औषधालय परिसर, सिपकॉप, राणिपेट-632403 में 21/12/2009 पूर्वाह्न से श्री आशीष मोहन सिंह की अवर श्रेणी लिपिक के पद पर तैनाती का अनुमोदन किया है।

श्री आशीष मोहन सिंह की नियुक्ति अस्थायी आधार पर की गई है तथा इस कार्यालय के ज्ञापन सं.51-अ/22(15) अ.श्रे.लि./सी.भ./2009 -प्रशासन-1 दिनांक 10/11/2009 द्वारा दिए गए नियुक्ति प्रस्ताव में निहित निबंधन एवं शर्तों और समय-समय पर संशोधित क.रा.बी. निगम (कर्मचारी एवं सेवा शर्तों) विनियम 1959 में निहित अन्य निबंधन एवं शर्तों के अधीन है।

उन्हें नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा और उनकी नियुक्ति की अस्थायी अवधि के दौरान दोनों तरफ एक महीने की लिखित सूचना पर निगम में सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

उनकी स्वास्थ्य जांच कर ली गई है तथा चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार योग्य पाए गए हैं।

वे अपनी नियुक्ति की तिथि 21/12/2009 पूर्वाह्न से पे. बैंड 1 एस -रुपये 5200-20200 +1900/- (ग्रेड पे) में रुपये 5830/- +1900/- (ग्रेड पे) प्रति माह आहरित करेंगे।

फिलहाल, उन्हें क.रा.बी.निगम, शाखा कार्यालय, राणिपेट में तैनात किया गया है, परन्तु उन्हें भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जांच-पड़ताल पर नियुक्ति के लिए अयोग्य पाया जाता है अथवा उनके जाति / समुदाय के संबंध में दावा आदि झूठ पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

आर. वेणु

सहायक निदेशक (प्रशासन)
कृते अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक

सेवा में,
संबंधित कर्मचारी
प्रतिलिपि :
राज्य चिकित्सा आयुक्त, चेन्नै-34
अपर आयुक्त(सर्तकता) (द.मं.)
सं.नि.(वित्त)/ सं.नि.(रा.) / सं.नि.(हित.)/ सं.नि.(विधि) / सं.नि.(वि.जां.), क्षे.का., चेन्नै
निजी सहायक, अपर आयुक्त
वित्त एवं लेखा F&A I / II / III / रोकड़ / नि. व नि.
हिन्दी कक्ष
का.आ./ वै.फा. / अतिरिक्त /सोसाईटी /जी एस एल आई